

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशप्तानुसार पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1) की उनके नाम के आगे अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध चयन हेतु की गई अभिशप्तों में निम्नांकित कार्मिक के संबंध में चयन का निर्णय बन्द लिफाफे में रखा गया चूंकि निम्नांकित के विरुद्ध राजस्थान असेनिक सेवाएं (वर्गीकरण), नियन्त्रण एवं अपील नियमों के नियम-1968 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी।

निम्नांकित कार्मिक के विरुद्ध चल रही उक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिनांक 12.06.17 द्वारा (यदि अधिक राशि आहरित की है तो वसूल की जावे की शर्त पर) निस्तारण किये जाने के कारण इनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पे-बेण्ड 15600-39100 पी0बी0-3 ग्रेड पे 6600/- में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1) पद पर चयनित किया जाता है। इनकी वरिष्ठता प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष नाम के सामने अंकित वर्ष की मुख्य सूची में निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी :-

क्र0स0	वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष	नाम कार्मिक एवं पद	जन्म दिनांक	डीपीसी वर्ष	जिन कार्मिकों के मध्य प्रतिस्थापित किया जाना है		
					नाम	जन्म तिथि	वरि0/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	657 वर्ष 94-95	श्री शरफुद्दीन बेग, व्याख्याता-राजवि.	10.03.66	15-16 Sch-i/iii	बनवारी लाल	03.02.66	656/94-95
					रामकिशोर	03.06.67	658/94-95

राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक प0 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत कार्मिक की दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सम्मान होने एवं उक्त पद की निर्धारित योग्यता धारित नहीं करने पर, पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था, बी-111/डीपीसी/वद लिफाफा/प्रधानाचार्य/2017-18/को-2 दिनांक 05/05/18
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. प्रभाग बी-1 एवं बी-2 को पदस्थापन हेतु।
7. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. संबंधित श्री शरफुद्दीन बेग, व्याख्याता-राजवि, हॉल-सतत शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर
9. रक्षित पत्रावली-



सुपुत निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर